

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बी-1/1/ख/29/1415
प्रति,

भोपाल दिनांक 24/06/2020

- 1- संयुक्त संचालक/उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय भोपाल/उज्जैन/रीवा/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर।
- 2- कार्यपालन यंत्री
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग भोपाल/भोपाल संभाग
क्रमांक-02/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/ग्वालियर/सागर/
रीवा/होशंगाबाद/सिवनी/मुरैना/खरगोन/मंदसौर।
- 3- भारसाधक अधिकारी/सचिव
कृषि उपज मंडी समिति,
----- जिला----- (समस्त)


विषय :- म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का सत्यापन के संबंध में।

संदर्भ :- संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठ भोपाल म. प्र. का पत्र क्रमांक/संचा. स्थानि. संप./प्र.भो./प्रति-1/2020/1084-1085 दिनांक 23.05.2020

संचालक, संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठ भोपाल के द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा के संभागीय/क्षेत्रीय कार्यालयों को म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड/आंचलिक/तकनीकी कार्यालय एवं कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का सत्यापन करने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं। उक्त पत्र दिनांक 23.05.2020 की छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

अतः आपके अधीनस्त समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का म. प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अन्तर्गत किये गये वेतन निर्धारण का सत्यापन स्थानीय निधि संपरीक्षा से करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल


कमांक/बी-1/1/ख/29/1436

भोपाल दिनांक 24/06/2020

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- अपर संचालक (वित्त) म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

2- संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा ----- संभागीय/क्षेत्रीय कार्यालय समस्त ।



प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र.

प्रकोष्ठ-भोपाल

सतपुडा भवन द्वितीय तल खंड-ग

दूरभाष क्र.0755-2570857 फैक्स 0755-2570857 adddirfabho@mp.gov.in

क्र./संचा.स्था.नि.संप./प्र.भो./प्रति-1/2020 / 1084

भोपाल दिनांक 23/05/2020

प्रति,

✓ संयुक्त संचालक/उप संचालक
क्षेत्रीय कार्यालय
स्थानीय निधि संपरीक्षा
ग्वालियर, भोपाल, इन्दौर,
उज्जैन, रीवा, जबलपुर एवं
सागर म.प्र.

विषय:- म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों का म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का सत्यापन के संबंध में।

संदर्भ :- 1. म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल का पत्र क्र./बी-1/1/ ख/29/ 3698 भोपाल दिनांक 20.02.2020

2. म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र./बी.-15-22/19/14-2 भोपाल दिनांक 01 फरवरी 2020

--00--

विषयान्तर्गत संलग्न संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्रानुसार आपके

अधिनस्थ म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड/आंचलिक कार्यालय एवं कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सांतवें वेतनमान में वेतन निर्धारण का सत्यापन किया जावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

Seli

(संध्या श्रीवास्तव)

संचालक

भोपाल दिनांक 10/5/2020

क्र./संचा.स्था.नि.संप./प्र.भो./प्रति-1/2020

प्रतिलिपि:-

प्रबंध संचालक सह आयुक्त, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल की ओर संदर्भित पत्र क्र./बी-1/1/ख/29/ 3698 भोपाल दिनांक 20.02.2020 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


Seli
संयुक्त संचालक
प्रकोष्ठ-भोपाल

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

कमांक/बी-1/1/ख/29/3698

प्रति,

संचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा, प्रकोष्ठ
भोपाल



भोपाल दिनांक 20/02/2020

विषय :-

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का सत्यापन के संबंध में।


संदर्भ :-


आपका विषयान्तर्गत पत्र कमांक/संचा.स्था.नि.संप./प्र.भो./प्रशा. 2-18/2017/26.10.2017 एवं 3340 दिनांक 11.12.2017।


संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अन्तर्गत कार्यरत सेवकों को म. प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2016 से दिनांक 30.06.2017 तक की अवधि के एरियर भुगतान के संबंध में म. प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक बी-15-22/19/14-2 दिनांक 01 फरवरी 2020 के अनुसार म. प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गई है उक्त पत्र दिनांक 01.02.2020 की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

अतः आपके अधीनस्त प्रदेश के स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालयों को मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के सातवे वेतनमान में किये गये वेतन निर्धारण का सत्यापन किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल




25/02

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/बी-15-22/19/14-2
प्रति,

भोपाल, दिनांक 01 फरवरी, 2020

✓ प्रबंध संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल।

विषय :- मंडी बोर्ड के अंतर्गत राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारी/कर्मचारियों को सातवें
वेतनमान में वेतन तथा सेवानिवृत्त अधिकारी के पेंशन उपादान के संबंध में
संदर्भ :- प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की नोटशीट क्रमांक 903
दिनांक 04.12.2019

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत आप से प्राप्त एकल नस्ती के द्वारा वित्त विभाग की पृच्छा
के क्रम में प्राप्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग के द्वारा नस्ती के नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 17 पर अंकित
निम्नानुसार टीप दी गई है:-

1. विभागीय प्रस्ताव अनुसार मंडी बोर्ड के कर्मचारियों को 7 वें वेतनमान के एरियर्स
(दिनांक 01/01/2016 से दिनांक 31/03/2018 तक की अवधि) के लिये
भुगतान की सहमति दी जाती है।
2. मंडी बोर्ड के स्थापना व्यय का प्रतिशत निरंतर बढ़ रहा है। अतः परामर्श है कि
मंडी शुल्क अक्टूबर, 2018 के संशोधन के पूर्व स्थिति पर पुनः लाए जाने की
आवश्यक कार्यवाही भी की जाए।

उपरोक्तानुसार वित्त विभाग द्वारा अंकित अभिमत अनुसार, आगामी विधिसम्यक
निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु, नस्ती के पृष्ठ क्रमांक 13 से 17 तक की छायाप्रति
संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।



(अजीत केंसरी)
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
49m/1083 दि 1/2/2020
आ. 44(S)/(F)
प्रबंध संचालक